

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Sunday, 20 September 2026

पूर्व सैनिकों को बड़ी सौगात : रक्षा मंत्री ने वित्तीय सहायता में 100% बढ़ोतरी को दी मंजूरी

Sanket Morankar

Published on 16 Oct 2025



देश के उन वीर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए राहत की एक बड़ी खबर सामने आई है, जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। रक्षा मंत्री **राजनाथ सिंह** ने बुधवार को घोषणा की कि **पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि में 100% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।**

यह निर्णय **रक्षा मंत्रालय** द्वारा संचालित विभिन्न **कल्याणकारी योजनाओं** के अंतर्गत लिया गया है और इसका उद्देश्य उन लाखों पूर्व सैनिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, जो सीमाओं पर तैनात रहकर देश की रक्षा कर चुके हैं।

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह **नई दरें 1 नवंबर 2025 से प्रभाव में आएंगी** और इसका लाभ उन्हीं पूर्व सैनिकों और आश्रितों को मिलेगा, जो इस तिथि के बाद आवेदन करेंगे।

इस संशोधन से जुड़ी **वर्षिक वित्तीय लागत ₹257 करोड़** आंकी गई है, जिसे **Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF)** से वहन किया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा:

“यह निर्णय पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता हेतु हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम चाहते हैं कि वे सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन व्यतीत कर सकें।”

निम्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि में 100% वृद्धि की गई है:

- युद्ध में घायल हुए सैनिकों को विशेष वित्तीय सहायता
- शहीदों की विधवाओं और आश्रितों के लिए अनुदान

3. पूर्व सैनिकों के बच्चों की शिक्षा सहायता
4. पुनर्वास के लिए सहायता राशि
5. असहाय, वृद्ध, और बीमार पूर्व सैनिकों के लिए विशेष राहत योजना

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा:

“पूर्व सैनिकों की सेवा और बलिदान को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उनके कल्याण के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह बड़ी हुई सहायता एक छोटा प्रयास है उन्हें सम्मान देने का।”

अब लाभार्थी **ऑनलाइन पोर्टल <https://ksb.gov.in>** के माध्यम से योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल होगी।

आवश्यक दस्तावेज़ :

- सेवा निवृत्ति प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड / पेंशन आईडी
- बैंक खाता विवरण
- परिवार का प्रमाण (आश्रितों के लिए)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

इस निर्णय से लाभान्वित होंगे:

- सेना, वायुसेना और नौसेना से सेवानिवृत्त सैनिक
- सीमा सुरक्षा बल (BSF), ITBP, CRPF जैसे अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवान
- शहीदों के परिवारजन
- युद्ध में घायल या स्थायी विकलांगता झेलने वाले सैनिक
- असहाय और वृद्ध पूर्व सैनिक

Armed Forces Flag Day Fund (AFFDF) वह विशेष कोष है जिसमें हर साल नागरिक समाज और कॉर्पोरेट जगत से दान लिया जाता है। इस फंड का प्रयोग पूर्व सैनिकों के कल्याण, पुनर्वास और आपातकालीन सहायता के लिए किया जाता है। यह कोष रक्षा मंत्रालय के अधीन **केन्द्र सैनिक बोर्ड** द्वारा संचालित किया जाता है।

यह सहायता **राज्य और ज़िला सैनिक कल्याण बोर्डों (RSB/ZSB)** के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर दी जाएगी। इन बोर्डों को केंद्र से निर्देश दिया गया है कि वे:

- पात्र लाभार्थियों की सूची अपडेट करें
- जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू करें
- सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करें

रक्षा मंत्रालय ने आम जनता और निजी संगठनों से भी अपील की है कि वे **Flag Day पर योगदान करें**, ताकि फंड में निरंतर

धनराशि बनी रहे और अधिक से अधिक पूर्व सैनिकों की मदद की जा सके ।

सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता में 100% वृद्धि का निर्णय न केवल आर्थिक रूप से सहायक है, बल्कि यह नैतिक और सामाजिक दायित्व की पूर्ति भी है ।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.